राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:–प0 12(16)वन/07 जयपुर, दिनांक:– 21 AUG 2013

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8.1.08 एवं 4.3.09 के द्वारा वन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं, गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षकगणों को विभिन्न वृत्त क्षेत्रों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था । वर्तमान में विभाग में वृत्तों को समाप्त कर राजस्व संभागों के अनुरूप संभागीय मुख्य वन संरक्षक पदस्थापित किये जाने, वन्यजीव व वन्यजीव क्षेत्रों के समुचित संरक्षण एवं देख रेख हेतु मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) पदस्थापित किये जाने तथा विभाग के संगठनात्मक ढॉचे का पुनर्निधारण किये जाने के परिणामस्वरूप उक्त आदेशो के अधिलंघित करते हुए निम्नलिखित अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित क्षेत्रों का प्रभारी अधिकारी का नियुक्त किया जाता है :–

क्र.स.	पद	क्षेत्र
1.	परियोजना निदेशक, आर.एफ.बी.पी.–II, राजस्थान जयपुर	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर
2.	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान जयपुर	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर ।
3	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास) राजस्थान जयपुर	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर / मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), उदयपुर
4	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (सुरक्षा) राजस्थान जयपुर	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर / मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), भरतपुर ।
5	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू–संरक्षण, राजस्थान जयपुर	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा / मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), कोटा ।
6	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल आफिसर, एफ.सी.ए., राजस्थान जयपुर	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर / मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जोधपुर ।
7	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा राजस्थान जयपुर	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

उक्त अधिकारीगण प्रतिमाह भिन्न भिन्न क्षेत्रों (Different areas) का दौरा करेंगे तथा फील्ड एरिया का चयन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न कर पहुँचने पर रेण्डमली करेंगे । कार्यक्रम योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के दौरे के दौरान पाये जाने वाली अनियमितताओं के बारे में स्पष्ट अंकन करते हुए अपनी टिप्पणी करेंगे।

उपरोक्त निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर प्रतिमाह 10 तारीख तक संकलित (Consolidate) रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा की जावेगी । यह कार्य मुख्यालय में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

–Sd–
(ओ0 पी0 मीणा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन

DCF (IT) 22/8/13

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय वन मंत्री महोदया ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर
4. संबंधित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर
5. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव